पत्र संख्या–26 / मु0–06–10 / 2025...../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना (बुडको) द्वारा बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के तहत् निम्नांकित कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी।

(क) Renovation/Beautification of Singarhat Pond under Biharsarif Nagar Nigam (NIT No.- BUDCO/Yo- 1973/2020-191).

(ख) Renovation/Beautification of Lal Pond under Biharsarif Nagar Nigam (NIT No.- BUDCO/Yo- 1973/2020-191).

2. उक्त दोनों निविदा में जल संसाधन विभाग के निबंधित संवेदक श्री विवेका कुमार, ग्राम / मु0–पिपरा(छतना), पोस्ट–परसा, जिला–पटना (निबंधन संख्या–17 / 2020, प्रथम श्रेणी) द्वारा निविदा समर्पित किया गया। निविदाओं के साथ–साथ उक्त संवेदक द्वारा Construction of Hospital Buiding, Samastipur जिसका Client NPCC है, का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

3. बुडको के पत्रांक–1166 दिनांक–12.02.2021 के द्वारा संवेदक के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जोनल मैनेजर NPCC Ltd. से करायी गयी, जिसमें NPCC Ltd द्वारा अंकित किया गया कि संवेदक का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र गलत है।

4. संवेदक के इस कृत्य के लिए बुडको के पत्रांक–2895 दिनांक–17.04.2021 द्वारा यह स्पष्ट करने हेतु कहा गया कि "क्यो नहीं जाली कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए उनके विरूद्ध बिहार निबंधन नियमावली, 2007 के आलोक में कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को कालीकृत करने की कार्रवाई की जाय।" संवेदक द्वारा इस संबंध में कोई भी जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात् बुडको के पत्रांक–2992 दिनांक–22.04.2021 द्वारा संवेदक के विरूद्ध उक्त कृत के लिए बिहार निबंधन नियमावली 2007 के तहत एक वर्ष के लिए कालीसूची में डालने की अनुशंसा इस विभाग से की गयी।

5. उक्त के आलोक में संवेदक श्री विवेका कुमार से बुडको द्वारा आमंत्रित निविदा में फर्जी / जाली प्रमाण पत्र संलग्न करने के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–1477 दिनांक–03.06.2021 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। संवेदक श्री कुमार द्वारा अपना बचाव बयान पत्रांक–VK182 दिनांक–26.07.2021 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि निविदा के साथ संलग्न किया गया कार्यानुभव प्रमाण पत्र उनकी जानकारी में नहीं था। उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उनके कर्मचारी द्वारा जानबूझकर प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर उन्हें फसाने के लिए निविदा पत्र के साथ अपलोड कर दिया गया था। उपरोक्त दोनों निविदा को बुडको द्वारा रद्द कर दिया गया और पुनर्निविदा प्रकाशित करने की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि E-tendring के मामले में निविदा दस्तावेजों को दक्ष कम्प्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से अपलोड की जाती है। इस मामले में भी कम्प्यूटर ऑपरेटर के गलत मंशा के कारण ऐसी गलती हुई है।

6. संवेदक से प्राप्त बचाव बयान की समीक्षोपरांत संवदेक का यह कथन कि उक्त प्रमाण पत्र किसी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर उनके प्रतिद्वंदी द्वारा उन्हें फसाने के लिए निविदा के साथ अपलोड किया गया है को अस्वीकृत करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए विभागीय आदेश सं0–3339 दिनांक–21.10.2021 द्वारा संवेदक के निबंधन सं0–17 / 2020 (प्रथम श्रेणी) को 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।

7. संवेदक श्री विवेका कुमार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-15849/2025 (विवेका कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक–24.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

".....In the light of the aforementioned principles, the respondents have not adhered to the principles while ordering blacklisting. Accordingly, the petitioner has made out a case so as to interfere with the blacklisting order dated 21.10.2021 (Annexure-P/11 to the writ petition), it is set aside.

The matter is remanded to the concerned authority to pass a fresh order, after providing opportunity of hearing to the petitioner and to proceed to pass a reasoned and speaking order. The concerned authority is hereby directed to take note of the principles laid down by the Hon'ble Supreme Court in the aforementioned decision and pass orders within three months from today."

8. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक द्वारा अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना के समक्ष अभ्यावेदन (पत्रांक–VK-25-26/118 दिनांक–21.11.2025) समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि निविदा के साथ संलग्न किया गया कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र उनकी जानकारी में नहीं था, उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उनके कर्मचारी द्वारा जानबूझकर उनके प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर उन्हें फसाने के लिए निविदा पत्र के साथ अपलोड किया गया है।

9. संवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक–11.12.2025 को अभियंता प्रमुख, मुख्यालय के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी। सुनवाई के क्रम में संदर्भित निविदा में फर्जी कागजात समर्पित किये जाने के संबंध में कम्प्यूटर ऑपरेटर की गलत मंशा एवं उक्त निबंधन सं0–17/2020 से कोई भी कार्य नहीं कराने तथा कालीकृत होने के कारण उनका तथा उनके परिवार के लिए जीविकोपार्जन करना दुर्लभ होने की बात कही गयी। साथ हीं उनके द्वारा भविष्य में अपने सभी निविदा को अपने स्तर से जाँचोपरांत अपलोड करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं किये जाने के साथ क्षमायाचना किया गया।

10. वर्णित स्थिति में संवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा किये गये अनुरोध एवं क्षमायाचना पर सम्यक विचारोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ संवेदक श्री विवेका कुमार, जिला–पटना से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–3339 दिनांक–21.10.2021 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को Set Aside करते हुए संवेदक श्री विवेका कुमार, जिला–पटना के निबंधन सं0 (निबंधन सं0–17/2020, प्रथम श्रेणी) को निबंधन की वैधता तिथि 08.08.2024 तक के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / मु0–06–10 / 2025 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– श्री विवेका कुमार, ग्राम–पिपरा, पो0+थाना–परसा बाजार, जिला–पटना, पिनकोड–804453 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / मु0–06–10 / 2025 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना (बुडको) को उनके पत्रांक–2992 दिनांक–22.04.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / मु0–06–10 / 2025 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / मु0–06–10 / 2025 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / मु0–06–10 / 2025 498 पटना, दिनांक :- 24/01/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/01/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।